

शासनादेश संख्या:- 6668 / 111(2) / 13-37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

|       |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                           |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 24    | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-806/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में दातनू बडनू मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से सिलाया छानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण) | 4.00           | 29.44<br>[ 23.40 Lacs + 6.04 Lacs<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली<br>से कराये जाने वाले कार्य]         | 0.10 |
| 25    | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-807/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सहिया, पानुवा मोटर मार्ग से ग्राम बोरी खताल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।                     | 5.00           | 36.80<br>[ 29.25 Lacs + 7.55 Lacs<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली<br>से कराये जाने वाले कार्य]         | 0.10 |
| 26    | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-488/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में लाखामण्डल-नाडा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।                                                                           | 18.00          | 133.74<br>[ 105.30 Lacs + 28.44 Lacs<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली<br>से कराये जाने वाले कार्य]      | 0.10 |
| 27    | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-513/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में पेडियापुल-रेपसना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।                                                                         | 5.00           | 37.15<br>[ 29.25 Lacs + 7.90 Lacs<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली<br>से कराये जाने वाले कार्य]         | 0.10 |
| 28    | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-512/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत कोटी बावर मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।                                                                        | 2.00           | 14.86<br>[ 11.70 Lacs + 3.16 Lacs<br>उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली<br>से कराये जाने वाले कार्य]         | 0.10 |
| योग:- |                                                                                                                                                                                                                       | 192.75 +<br>02 | 1206.94<br>[ 957.24 Lacs + 249.70<br>Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति<br>नियमावली से कराये जाने वाले<br>कार्य] | 2.80 |

(कुल रु० दो लाख अस्सी हजार मात्र)

Photocopy Attached

e

(इ० वी०डी० भट्ट)  
सहायक अभियन्ता  
अरुण खण्ड को०नो०वि०  
राहिया जिला-देहरादून

माहिमा  
(महिमा)  
अनु सचिव